विकृत हो रही आजीविका की एक आदिवासी संस्कृति

जसिन्ता केरकेट्टा

आदिवासियों की आजीविका की अपनी एक संस्कृति है। उनकी रोजी-रोटी के लिए अपनाए तरीकों में ईमानदारी होती है। वे सामूहिकता व सामूदायिकता पर आधारित जीवन जीते हैं। संथाल परगना के लोग मुख्यतः खेती पर आधारित हैं। यहां जमीनें तो दूर-दूर तक पसरी हुई हैं लेकिन सिंचाई की कमी के कारण लोग बंगाल पलायन करते हैं। अपने खेतों में फसल न उपजाकर वे बंगाल में दूसरों की खेतों में काम करते हैं। बदले में उन्हें मजदूरी के साथ चावल भी मिलता है। कई योजनाएं यहां चल रही हैं लेकिन लोगों का कोई समग्र विकास नहीं हो पा रहा। बदले में पेनम की सड़क के किनारे अति प्रदूषण से लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त है। बच्चों की षिक्षा बर्बाद हो रही है। संताल आदिवासियों के क्षेत्र में कोयले का भंडार निकलने के बावजूद भी पेनम कंपनी की गाड़ियों से जोर-जबर्दस्ती गाड़ी रूकवाकर लोग कोयला चोरी करने को मजबूर हैं। कोई अन्य विकल्प नहीं है उनके पास और आसान तरीकों में कोयला बेचना सहज है। कोयला उतारते वक्त कभी-कभी पुलिस की पकड़ में आने पर उनकी पिटाई भी होती है। आजीविका की एक आदिवासी संस्कृति का धीरे-धीरे विकृत होता एक रूप पेनम की सड़कों पर नजर आता है विकास

की धूल फांकता हुआ। पाकुड़ जिला विष्व भर में ब्लेक स्टोन व कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ब्लेक स्टोन के लिए जिन इलाकों में चट्टानों को ब्लास्टिंग कर फेड़ा जाता है, उन क्षेत्रों की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण है। प्रदूषित वायू सांस लेकर लोग असमय मौत के शिकार हो रहे हैं। यहां के कोयले पंजाब राज्य सरकार को जाते हैं। पंजाब राज्य सरकार के बदले में पाकुड़ में कोयला निकालने और बाहर भेजने का काम पेनम कंपनी कर रही है। यह प्राइवेट-पब्लिक ज्वाइंट वेनचर है पंजाब राज्य सरकार व एएमटीएम के बीच। पाकुड़ के लतामारा से कूटुरडीह अमड़ापाड़ा तक पेनम कंपनी का रास्ता है। इसी रास्ते से अमड़ापाड़ा स्थित कोयला खदान से कोयले का परिचालन होता है। यह रास्ता पहले आम जनता के लिए सरकारी सड़क थी। कंपनी ने 2006 में सरकारी सड़क को पेनम कंपनी की सड़क में तब्दील कर दिया। सरकार की अनुमती से सड़क का चौड़ीकरण कंपनी ने किया। इस दौरान इसके किनारे बसे गांव के लोगों की जमीनें व घरों की छतें दब गई लेकिन आज तक अधिकांश लोगों को कोई मुआवजा नहीं मिला है।

हर माह हो रहीं दुर्घनाएं, जाती हैं जानें : पाकुड़ के सदर प्रमुख रामसिंह कहते हैं कि पेनम की सड़क के किनारे-किनारे करीब 70-80 गांव बसे हैं। पेनम की सड़क बनने के बाद इसपर लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो गया। इस रास्ते पर प्रतिदिन 700-800 कोयला ढोने वाली गाड़ियां दौड़ती हैं। ट्रकों को 15 टन कोयला ही लोड करना है लेकिन गाडियां 30 टन कोयला लाद रही हैं। इस रास्ते पर इन सात सालों में 8000 दुर्घटनाएं हुई हैं। जिनमें कई लोगों की जानें गई हैं। इन दुर्घटनाओं में किसी इंसान की मौत होने पर उसकी कीमत एक लाख बीस हजार रूपये कंपनी की ओर से तय पशुओं की सड़क-दुर्घटना में मृ की कीमत अलग-अलग है। य बकरी या मुर्गी गाड़ी के नीचे आ मारे जाए तो इसकी भरपाई के लि तीन हजार रूपये तय हैं। यदि ग या बैल की दुर्घटना से मौत हो ज तो 10 हजार से 15 हजार रूपये त हैं। इससे ज्यादा की मांग करने वा पर रंगदारी का केस दर्ज किया ज है। किसी की मौत पर 24 घंटे अधिक जाम करने पर ग्रामीणों केस थोपकर जेल भेज दिया ज है। अब तक कई लोग जेल गए जिन्हें बाद में छुड़ाया गय गोविंदपुर गांव के दासो किस बताते हैं कि गांव में हर माह दो तीन दुर्घटना के केस तो होते ही दुर्घटना में खेतों में यदि गाड़ी प गई हो तो धान बर्बाद हो जाते जिसका कोई मुआवजा न मिलता।

एक परिवार की खाने की जुग चली जाती है। कोयले गाड़ियों उतारने के कारण पेनम के अधिक ग्रामीणों को चोर मानते हैं। कभ कभी पुलिस पेट्रोलियम के दौ युवकों व बच्चों को दौड़ाते भी और पकड़ में आ जाने पर बेरह से पीटते भी है।

समा

सीएसडीएस द्वारा प्रदत
इनक्लूसिव मीडिया
यूएनडीपी फेलोशिप के तह